10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

56

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2014 भोपाल R- 4143 PBR/14

R-4143-PBR/14

श्रीमती सरोज भदौरिया पत्नी दिलीप सिंह भदौरिया, निवासी– मकान नं. 253, ग्राम विजपुरी नं. 2, तहसील/जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. विजय कुमार दास पुत्र नरेन्द्रदास, निवासी– हिन्दी मेल भवन, लिंक रोड क्रमांक 3, पत्रकार कॉलोनी के सामने, भोपाल
2. श्रीमती मायादास पत्नी विजय कुमार दास निवासी–हिन्दी मेल भवन, लिंक रोड क्रमांक 3, पत्रकार कॉलोनी के सामने, भोपाल
3. श्री युधिष्ठर भदौरिया पुत्र राजबहादुर सिंह भदौरिया, निवासी– मकान नं. 52, विनीत कुंज, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)
   वर्तमान निवासी– मकान नं. 253, ग्राम विजपुरी नं. 2, तहसील/जिला भिण्ड (म.प्र.)
4. म.प्र.शासन

..... अनावेदकगण

श्री कुँवरसिंह कुशवाह ऑथि. द्वारा आज 10.12.14 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-12-14 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 11.45 A.m

कुँवरसिंह कुशवाह (एडवोकेट) 10-12-2014

प्रति प्राप्त की 10-12-14 शाखा प्रभारी (लो.अ.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी हुजूर भोपाल के प्रकरण क्रमांक 49/अपील/ 2013–14 विजय कुमार बनाम श्रीमती सरोज आदि आदेश दिनांक 28–11–2014 को पारित।

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार पेश हैं :–

यह कि, निगरानीकर्ता ने विवादित आराजी भूमि खसरा क्र. 8/2/2 एवं नया खसरा क्रमांक 248/3, 250/1 रकवा 0.170 हेक्टर भूमि पटवारी हल्का नं. 30, तहसील हुजूर का विक्रयपत्र दिनांक 29-07-2011 के द्वारा [illegible] विक्रेता के आधार पर तहसील न्यायालय ने दिनांक

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-04-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	